न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 388/2016

बउनवान

भवानीशंकर पुत्र ईश्वरीलाल जाति–धाकड निवासी–सम्बलपुर तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नरेन्द्रसिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 20.11.2017

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सम्बलपुर, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 372, 373 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता पर अतिक्रमी मानकर 75/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 8.3.2016 को उपस्थित था उसी दिन तावान राशि जमा करायी थी परन्तु प्रकरण में अपीलांट का सजा की जानकारी नहीं दी गई। अपीलांट का वर्तमान में उक्त आराजियात् पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा हटा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से अतिक्रमण रिपोर्ट से पूर्व से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। इस बाबत हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 6.6.2017 पेश की। साथ हीं यह भी

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Web Copy - Not Official

निवेदन किया कि अपीलांट उक्त आराजी पर भविष्य में कभी भी अतिचार नहीं करेगा। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया है। किन्तु पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 717/14 निर्णय दिनांक 03.11.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 6.6.2017 से विदित है कि वर्तमान में अपीलांट ने उक्त प्रश्नगत आराजी से कब्जा छोड दिया है, किन्तु रिपोर्ट से यह भी जाहिर होता है कि उक्त आराजी पर दो वर्ष पूर्व अपीलांट का हीं कब्जा रहा है। विवादित आराजी गै.मु.रास्ता है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 717/14 निर्णय दिनांक 03.11.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी गै.मु. रास्ता पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 597/16 में पारित आदेश दिनांक 08.03.016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)